



सोशल मीडिया पर महिला की छवि धूमिल करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

नाम बदलकर लखनऊ में छिपा था अपराधी, रौनापार पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के कशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी साइबर क्राइम के प्रभावी पर्यवेक्षण में थाना रौनापार पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा सोशल मीडिया अपराध के विरुद्ध प्रभावशाली कार्रवाई करते हुए एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जो महिला की सामाजिक छवि को धूमिल करने में संलिप्त था।

प्रकरण में एक महिला द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना रौनापार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त द्वारा योजनाबद्ध तरीके से साइबर माध्यम का दरूपयोग कर महिला की सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुँचाई जा रही थी।

◻ गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण

साइबर सेल द्वारा किए गए तकनीकी विश्लेषण, डिजिटल साक्ष्य संकलन एवं सर्विलांस के आधार पर अभियुक्त की लोकेशन ट्रैस की गई। इसके उपरान्त थाना रौनापार पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 03.01.2026 को समय लगभग 06:10 बजे, सरोजनी नगर क्षेत्र, जनपद लखनऊ से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से:

- 01 स्मार्ट मोबाइल फोन (जिसका प्रयोग अपराध में किया गया),
- 01 फर्जी आधार कार्ड (नाम बदलकर उपयोग किया गया),
- सोशल मीडिया अकाउंट से संबंधित डिजिटल डेटा

बरामद कर विधिक रूप से कब्जे में लिया गया है।

क्रॉसर (Crosser): नाम बदलकर छिपे अभियुक्त का खुलासा

विवरण सही जानकारी फर्जी / गलत जानकारी

अभियुक्त का नाम शादाब / शाहिद खान अभिषेक

पिता का नाम असलम राजेश रावत

पहचान का आधार वास्तविक पहचान फर्जी आधार कार्ड

मूल निवास जनपद आजमगढ़ लखनऊ (नाम बदलकर निवास)

उद्देश्य — पुलिस से बचने हेतु पहचान छिपाना

◻ अपराध का तरीका (Modus Operandi)

अभियुक्त द्वारा पीड़िता की वास्तविक फोटो को प्राप्त कर उसे डिजिटल रूप से एडिट किया गया तथा अश्लील स्वरूप में परिवर्तित कर फर्जी सोशल मीडिया आईडी के माध्यम से प्रसारित किया गया। इसके साथ ही अभियुक्त द्वारा पीड़िता एवं उसके परिजनों को लगातार डराने-धमकाने का कार्य किया गया, जिससे पीड़िता मानसिक रूप से प्रताड़ित रही।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 261/2025, धारा 351(4), 308(5), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. एवं 67 आईटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- वास्तविक नाम: शादाब / शाहिद खान पुत्र असलम
- फर्जी नाम: अभिषेक पुत्र राजेश रावत
- मूल निवासी: जनपद आजमगढ़
- वर्तमान निवास: सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ (नाम बदलकर)

अभियुक्त पुलिस से बचने के उद्देश्य से फर्जी आधार कार्ड के सहारे नाम बदलकर लखनऊ में छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तारी करने वाली संयुक्त पुलिस टीम

थाना रौनापार पुलिस टीम

- निरीक्षक/विवेचक – अशोक कुमार तिवारी
- उ0नि0 – प्रशान्त पाण्डेय
- अन्य पुलिसकर्मी, थाना रौनापार

साइबर सेल टीम

- उ0नि0 सागर कुमार रंगू – प्रभारी साइबर सेल
- मु0आ0 ओमप्रकाश जायसवाल
- मु0आ0 मुकेश भारती
- आरक्षी राहुल सिंह
- आरक्षी सतेन्द्र यादव
- आरक्षी श्याम कुमार साहनी

→ गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसमें अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि सोशल मीडिया का प्रयोग सतर्कता एवं जिम्मेदारी से करें। किसी भी प्रकार की साइबर धमकी, फर्जी आईडी अथवा आपत्तिजनक सामग्री की सूचना तत्काल नजदीकी थाना या साइबर सेल को दें।

→ यह कार्रवाई महिला सम्मान एवं साइबर अपराधों के विरुद्ध आजमगढ़ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति को सशक्त रूप से प्रदर्शित करती है।

